संख्या-2024/ 001-3840422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-11/01/2024

विषयः- देवीपाटन मण्डल गोण्डा के स्टेडियम में छात्रावास भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1104/नि0 गोण्डा स्टे0 पत्रा0, दिनांक 14.12.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देवीपाटन मण्डल गोण्डा के स्टेडियम में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 539.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2022-23 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-08 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य ''में व्यवस्थित धनराशि रू0 500.00 लाख में से धनराशि रू0 1,50,00,000 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त परियोजना हेतु अवशेष सम्पूर्ण देय धनराशि रू0 3,89,63,000/-(रुपये तीन करोड़ नवासी लाख त्रेसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-08-मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2038.71 लाख में से निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 3,89,63,000/-(रुपये तीन करोड़ नवासी लाख त्रेसठ हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्त रदायित्वा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) प्रश्नागत प्रयोजना का गठन उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 की जनपदीय अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर किया गया है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। देशक,खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित लागत में द्विरावृत्ति को हटाते हुए रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया गया है। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से प्राप्त विस्तृत आगणन के आधार पर एवं सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रायोजना के अन्तर्गत फर्नीचर (रू0 32.27 लाख), वाटर कूलर/वाटर प्यूरीफायर एवं साईनेज (रू0 5.00 लाख) सी0सी0टी0वी0 (रू0 2.60 लाख), लैन सिस्टम (रू0 3.95 लाख) प्रस्तावित किया गया है, जिसे आंकलित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(8) प्रायोजनान्तर्गत सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम 20.00 के0डब्लू0 कार्य प्रस्तावित किया गया है। इन्हें इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। कार्यदायी संस्था /निदेशक, खेल निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित करायेंगे।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, खेल का होगा।

(10) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(19) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(20) कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(21) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(22) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(23) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(25) निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के दिनॉक 17 मार्च, 2023 के क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2023/001-782422023, दिनांक 24.03.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,89,63,000 (रुपये तीन करोड़ नवासी लाख त्रेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038000800 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीडा छात्रावास निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-3840422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गोण्डा।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।